पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) के॰यो॰–03 / 2016–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई के विभिन्न प्रयोगशालाओं में आवश्यकता आधारित मशीनें एवं उपकरण तथा छात्रावास में आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से आपूर्ति किये गए सामग्रियों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु रू॰ 37,92,000=00 (सैंतीस लाख बानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1794, दिनांक 27.07.2017 के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई के विभिन्न प्रयोगशालाओं में आवश्यकता आधारित मशीनें एवं उपकरण तथा छात्रावास में आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 1,66,50,000=00 (एक करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त विमुक्त राशि में से व्यय के उपरांत संस्थान द्वारा कुल रू॰ 76,90,323=00 (छिहतर लाख नब्बे हजार तीन सौ तेईस रूपये) मात्र की राशि प्रत्यर्पित कर दी गई।

3. राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई के पत्रांक–326, दिनांक 13.10.2018 द्वारा अधियाचित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से आपूर्ति किये गए सामग्रियों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु रू॰ 37,92,000=00 (सैंतीस लाख बानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्कीम बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 5201 मशीनरी एवं उपस्कर–कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, जमुई से की जायेगी।

5. उक्त राशि से बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किये गए सामग्रियों का भुगतान किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। क्रय की गई मशीनरी / सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेगें। प्राचार्य इसे सत्यापित करेंगे तथा इसके रखरखाव की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) के०यो०–03/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) के०यो०–03/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) के०यो०–03/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई को उनके पत्रांक–326, दिनांक 13.10.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) के०यो०–03/2016– 362 /पटना, दिनांक– 29-1-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव